(c) whether some amount has been spent on these projects so far;

(d) if so, the details thereof as on 28th February, 1993;

(e) whether any target for completion of work was fixed at the time of laying foundation stone;

(f) whether any progress in each project has been made till 28th February, 1993; and

(g) if so, the details thereof and if not, the reasons therefore and by when these bridges are likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (g). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Retirement of Lift Operators in C.P.W.D.

2242. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Lift Operators of Central Public Works Department retire from service at the age of 60 years;

(b) if so, whether the age of retirement of other Group 'C' staff such as Work Assistants is also 60 years; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) The age of retirement of Group C staff such as Work Assistants is 58 years.

(c) The Lift Operators have not yet been classified as Group C.

कल्याणवास, दिल्ली में फ्लटों का त्रुटिपूर्ण डिजाइन

2243. **श्री शांति व्यागी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को यमुना पार स्थित कल्याणवास कालोनी में सरकारी फ्लैटों का डिजाइन त्रुटिपूर्ण पाया गया है ;

(ख) क्या उच्च स्तर के इंजीनियरों द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जलसंसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका के क्वार्टर बनाये थे और उन्होंने इन क्वार्टरों को अपने अधिकार में 1981 में लिया था। इन क्वार्टरों को अधिकार में लेते समय निर्माण में प्रारंभिक कमियां नलसाजी और टैरेस की डिजाइन त्रुटिपूर्ण थी, जिससे क्वार्टरों में रिसाव और सीलन बनी रही । परिणामत : प्रबलन सामग्री में जंग लग गया तथा रोड़ियां गिरने लगी । टैरेस को नए सिरे से बना दिया गया है और नलसाजी को ठीक कर दिया गया है। टूटे हुये स्लेबों को बदलने के लिये भारत सरकार के उपक्रम एन.सी.बी. को उनकी विशेषज्ञता राय के लिये भेजा गया है । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और उनकी सिफारिशों के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा अंतिम कार्यवाही की जायेगी ।